उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-2

संख्या- 2/2016/सीपी 621/84-2-2015-सीपी 6/2013

लखनऊ : दिनांक : 08 जनवरी, 2016

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

श्रीमती उर्मिला द्विवेदी पत्नी श्री प्रेम शंकर द्विवेदी, ग्राम महुई, पोस्ट समोगर, हाटा, कुशीनगर की नियुक्ति शासन की अधिसूचना संख्या-68/सीपी 415/84-2-2013-सीपी 6/2013, दिनांक 30.10.2013 द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, कुशीनगर में महिला सदस्य (पूर्णकालिक) के पद पर की गई थी।

2- उक्त श्रीमती उर्मिला द्विवेदी की चरित्र सत्यापन के संबंध में पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर द्वारा अपने पत्र दिनांक 30.10.2013 में यह अवगत कराया गया था कि उनके विरूद्ध मु0अ0स0-6/08 धारा-147/148/149/152/336रु341/353/332/435/504/506/ 307 भा0द0वि0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट 3/4 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम व 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट का अभियोग थाना हाटा, जनपद कुशीनगर में पंजीकृत है।

3- इस संबंध में श्रीमती उर्मिला द्विवेदी ने अपने पत्र शून्य के द्वारा निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी0-1, विक्रान्तखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को सूचित किया गया था कि सरकार द्वारा पंजीकृत किये गये उक्त मुकदमें की वापसी की कार्यवाही की जा रही है। अतः निबंधक, राज्य आयोग ने अपने पत्र संख्या-2151/ एस0सी0डी0आर0सी0/यू0पी0/अधि0 89/13, दिनांक 19 अगस्त, 2014 द्वारा उक्त श्रीमती द्विवेदी को निर्देशित किया था कि धारा 321 जाब्ता फौजदारी के तहत मा0 न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया गया हो तो उसकी प्रति उपलब्ध करायें। इस संबंध में श्रीमती उर्मिला द्विवेदी द्वारा राज्य आयोग को अवगत कराया गया था कि मा0 न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश पारित किया जायेगा तो उसकी प्रति आयोग को प्रस्तुत कर दी जायेगी। तदोपरान्त राज्य आयोग के पत्र संख्या-5918/एस0सी0डी0 आर0सी0/यू0पी0/अधि0 89/13, दिनांक 16 मार्च, 2015 द्वारा श्रीमती द्विवेदी को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया था कि उक्त पंजीकृत मुकदमें में यदि मा0 न्यायालय द्वारा कोई अंतिम आदेश पारित किया गया हो, तो उसकी प्रति सात दिन के अंदर राज्य आयोग को उपलब्ध करायें। यदि उक्त अवधि में उनके द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो यह अवधारणा कर ली जायेगी कि उक्त पंजीकृत वादों को आवेदन पत्र में उल्लिखित न करके छिपाया है। कार्यभार ग्रहण किये जाने के पूर्व पुलिस सत्यापन रिपोर्ट से उक्त तथ्य संज्ञान में आया है तथा आपकी नियुक्ति निरस्त किये जाने के संबंध में संस्तुति शासन को प्रेषित कर दी जायेगी।

.....2.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस संबंध में आयोग के उक्त पत्र दिनांक 15.03.2015 के अनुपालन में कोई भी सूचना आयोग को उपलब्ध नहीं करायी गयी। अतः शासन के पत्र संख्या-सीपी 348/84-2-2015-सीपी 6/2013, दिनांक 23 जून, 2015 द्वारा श्रीमती उर्मिला द्विवेदी को कारण बताओ नोटिस इस निर्देश के साथ दी गयी कि थाना हाटा, जनपद कुशीनगर में पंजीकृत मु0अ0स0-6/08धारा-147/148/149/152/336/341/353/332/435/504/506/307 भा0द0वि0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट 3/4 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम व 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट समाप्त किये जाने के संबंध में मा0 सक्षम न्यायालय से कोई आदेश पारित हुआ हो तो उस आदेश की मूल प्रति शासन को पत्र पाने के एक सप्ताह के अन्दर निश्चित रूप से उपलब्ध कराये।

5- इस संबंध में श्रीमती उर्मिला द्विवेदी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है। श्रीमती उर्मिला द्विवेदी ने नियुक्ति हेतु प्रस्तुत अपने आवेदन पत्र में लम्बित फौजदारी प्रकरण से सम्बन्धित मु0अ0स0-6/08 धारा-147/148/149/152/336/341/353/332/435/504/506/307 भा0द0वि0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट 3/4 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम व 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट को छुपा लिया था। इस फौजदारी प्रकरण का खुलासा चरित्र सत्यापन के दौरान हुआ। स्वीकृत रूप से उक्त फौजदारी प्रकरण का विचारण मा0 न्यायालय में लम्बित है। मा0 न्यायालय द्वारा उक्त अभियोग को वापस कर दिया गया हो, ऐसा कोई तथ्य अभिलेखीय उपलब्ध नही है। अतः इस कारण श्रीमती उर्मिला द्विवेदी को जिला उपभोक्ता फोरम में महिला सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण नही कराया गया है।

6- श्रीमती उर्मिला द्विवेदी की जिला उपभोक्ता फोरम, कुशीनगर में महिला सदस्य के पद पर की गयी नियुक्ति की अधिसूचना दिनांक 30.10.2013 में यह स्पष्ट उल्लेख था कि नियुक्ति इस शर्त के अधीन है कि चरित्र सत्यापन के उपरान्त निबंधक, राज्य आयोग द्वारा सम्बन्धित जिला उपभोक्ता फोरम में कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। चरित्र सत्यापन में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को उपयुक्त नही पाया जाता है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

7- श्रीमती उर्मिला द्विवेदी के चरित्र सत्यापन के संबंध में पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर ने अपने पत्र संख्या-सी0बी0आर0न0-519/2013, दिनांक 30.11.2013 द्वारा राज्य आयोग को सूचित किया गया कि उक्त श्रीमती द्विवेदी के विरूद्ध मु0अ0स0-6/08 धारा-147/148/149/ 152/336/341/353/332 /435/504/ 506/307 भा0द0वि0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट 3/4 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम व 3(1)10 एस0सी0/ एस0टी0 एक्ट का अभियोग थाना हाटा, कुशीनगर में पंजीकृत है। यह फौजदारी का प्रकरण का विचारण मा0 न्यायालय में लम्बित है।

.....3.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- अतः निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 के अनुरोध के दृष्टिगत् तथा वर्णित तथ्यों के सम्यक विचारोपरान्त जिला उपभोक्ता फोरम, कुशीनगर के महिला सदस्य (पूर्णकालिक) के पद पर अधिसूचना दिनांक 30.10.2013 द्वारा श्रीमती उर्मिला द्विवेदी पत्नी श्री प्रेम शंकर द्विवेदी, ग्राम महुई, पोस्ट समोगर, हाटा, कुशीनगर की नियुक्ति को श्री राज्यपाल एतद्द्वारा निरस्त करते है।

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिलाधिकारी, कुशीनगर।
3- पुलिस अधीक्षक कुशीनगर।
4- कोषाधिकारी कुशीनगर।
5- कार्यालय जिला उपभोक्ता फोरम कुशीनगर (निबंधक, राज्य आयोग)।
6- श्रीमती उर्मिला द्विवेदी पत्नी श्री प्रेम शंकर द्विवेदी, ग्राम महुई, पोस्ट समोगर, हाटा, कुशीनगर-274203।
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
अनिल कुमार वाजपेई
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।